प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मीरजापुर ।

सेवा में

प्रबंधक/प्रधानाध्यापक
जयदीप पब्लिक स्कूल प्रा0वि0,हरसिंगपुर,कोन,
मीरजापुर ।

पत्रांक शिविर/ 5844–5941 /2007–08 दिनांक 25-1-08

विषयः–प्राइमरी स्कूल को नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान करने के संबंध में ।

——00——

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में जिला मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय के प्राइमरी स्कूल (कक्षा 1 से 5 तक) की अस्थायी मान्यता केवल जुलाई 08 से तीन वर्ष तक के लिये निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है इन शर्तों की पूर्ति करके उसकी प्रगति का विवरण संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक वर्ष शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में ही अवश्य प्राप्त करायें अन्यथा आपके विद्यालय की मान्यता प्रतिबन्धों की पूर्ति के अभाव में प्रत्याहरित कर ली जा सकती है ।साथ ही इस अवधि मान्यता की सभी शर्तों को अवश्य पूर्ण करलें ।

1– 20'25 आकार के शिक्षण कक्ष सभी कक्षा हेतु तथा वैकल्पिक एवं प्रधानाध्यापक तथा कार्यालय तथा भण्डारण कक्ष के लिये अलग–अलग कक्ष निर्मित किये जाये ।

2– छात्रों एवं अध्यापकों के लिये पृथक–पृथक शौचालय तथा मूत्रालय की व्यवस्था की जाय ।

3– विद्यालय में प्राभूत कोष के रुप में अचल सम्पत्ति की व्यवस्था की जाय ।

4– रू0 1000/– का सुरक्षित कोष नगद जमा कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्लेज्ड किया जाय ।

5– 50000/– की छात्र उपयोगी पुस्तकें पुस्तकालय में रखी जाय ।

6– डेढ़ एकड़ भूमि(क्रीड़ा) के लिये उपलब्ध किया जाय तथा विद्यालय के नाम पंजीकृत किया जाय

7– विद्यालय को किसी प्रकार की रिक्ति पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पूर्व अनुमति के बगैर कोई अध्यापक नियुक्त नही किया जायेगा और न किसी अध्यापक की सेवाएं समाप्त और नही सेवा से पदच्युत ही किया जायेगा ।

8– संस्था में कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिका कार्यरत नही माना जायेगा ।

9– प्रत्येक अध्यापक /कर्मचारी को वेतनमान मंहगाई भत्ता अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय ।

10– विद्यालय की प्रबंध समिति साधारण सभा द्वारा चुनी एवं पंजीकृत होगी । उसका चुनाव निर्धारित अवधि में नियमित होता रहेगा तथा समिति के संविधान एवं पंजीकरण एवं उसका नवीनीकरण आदेश की सत्य प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाय ।

11– विद्यालय में विभाग द्वारा मान्य पाठ्यक्रम ही संचालित किया जायेगा ।

12– विद्यालय में छात्रों का प्रवेश निष्क्रमण पर अपेक्षित नियंत्रण तथा शिक्षण कार्य पर प्रभावी नियंत्रण अवश्य किया जाय । छात्रों एवं अध्यापकों के बैठने के लिये उचित मात्रा में काष्ठोपकरण की व्यवस्था की जाय ।

(कृ0पृ0उ0)..2

13— विद्यालय प्रबंध मंडल विभागीय आदेशों का पालन करेगी अन्यथा आदेशों की अवहेलना में मान्यता प्रत्याहरित की जा सकती है ।

उक्त अस्थायी नवीन मान्यता आपको कमांक 1 से 13 प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है । अतः आप सभी प्रतिबन्धों की पूर्ति के अभाव में आपकी अस्थायी मान्यता का प्रत्याहरण किया जा सकता है ।

भवदीय,

(विजय शंकर मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मीरजापुर ।

पृ0सं0 शिविर/ /उसी तिथि को ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेत प्रेषित :—

1— शिक्षा निदेशक (बेसिक),शिक्षा अर्थ —4 अनुभाग ,शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2— अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक),उ0प्र0,इलाहाबाद ।
3— सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0,इलाहाबाद ।
4— मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),वाराणसी ।
5— जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा समाज कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मीरजापुर ।
6— संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /नगर शिक्षा अधिकारी ।

(विजय शंकर मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मीरजापुर ।